न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 461–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 13–12–2013 पारित द्वारा तहसीलदार वृत्त बेराड परगना पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0 प्रंकरण कमांक 13/14/अ–68.

सीताराम पुत्र गजाधर
निवासी कालामढ तहसील बेराड
परगना पोहरी, शिवपुरी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

——— अनावेदक

— — —

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक – अनावेदक

— — —

:: आदेश पारित ::

— — —

(आज दिनांक २१ जनवरी 2016 को पारित)

— — —

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार पोहरी के आदेश दिनांक 13–12–2013 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार वृत्त बैराड परगना पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा आवेदक को प्रकरण कमांक 13–14/अ–68 में दिनांक 13–12–13 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर शासकीय भूमि कमांक 898/3/2 के रकबा 60X60 वर्गफीट पर से अतिकमण करने के कारण 50000/– अर्थदण्ड आरोपित किया

जाकर भूमि से बेदखल करने बावत दिया। आवेदक द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर 20–25 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त हो गये हैं। तहसीलदार द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विवादित भूमि पर अतिकमण बिना इजाजत करना लेख किया है जबकि आवेदक का भूमि पर मकान निर्मित किये जाने के विधिवत जानकारी नायब तहसीलदार को है। यह भी तर्क किया कि आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही कार्यवाही की जा रही है जबकि ऐसा कोई आदेश एवं कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा बिना सीमांकन किये धारा 250 की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जबकि अतिकमण सिद्ध करने के लिए विधिअनुसार सीमांकन किया जाना आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि सर्वे कमांक 898/3/2 रकबा 10 हे0 कृषि उपज मण्डी समिति बैराड़ की भूमि है। आवेदक ने इस भूमि पर मकान बना लिया है और आवेदक के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा भी अतिकमण कर लेने के कारण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को अतिकमण हटाने के लिए पत्र प्रेषित किया था, जिसके कम में आवेदक को भूमि पर अतिकमण किये जाने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। यह भी तर्क दिया कि आवेदक के अतिरिक्त लक्ष्मीनारायण एवं शांतिदास के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है जिसके विरूद्ध दोनों आवेदकों ने व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया था जो निरस्त हो गया है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक अभिभाषक का यह तर्क गलत है कि बेदखली हेतु नोटिस जारी करने के पूर्व भूमि का सीमांकन

नहीं किया गया। विवादित भूमि का पूर्व सीमांकन हो चुका है। कृषि उपज मण्डी द्वारा अपनी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य निर्माण कार्य प्रभावित होने के कारण अतिकमण हटाने हेतु कार्यवाही की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि उपज मण्डी समिति बैराड़ ने विचाराधीन शासकीय भूमि सर्वे कमांक 898/3/2 रकबा 10 हे0 कृषि उपज मण्डी समिति बैराड़ की भूमि पर आवेदक सहित अन्य लोगों द्वारा भी अतिकमण कर लेने के कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार बैराड को अतिकमण हटाने के लिए पत्र प्रेषित किया था। तहसीलदार वृत्त बैराड परगना पोहरी जिला शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 13–14/अ–68 कायम कर दिनांक 13–12–13 को आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये योग्य नहीं है कि बेदखली की कार्यवाही की पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया क्योंकि तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 3–10–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि उपज मण्डी को आरक्षित की गई भूमि का सीमांकन करने के उपरांत कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक को अभी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक को तहसील न्यायालय जबाव एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति इस न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर